

मैसर्स सिद्धाचलम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त दिल्ली-III

(सिविल अपील संख्या 810/2007)

1 अप्रैल, 2011

[डी.के. जैन और एच.एल. दत्त, जे.जे.,]

सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियम, 1988 आरआर 4 से 8 - माल का मूल्यांकन-आरोप है कि निर्यात के लिए दर्ज किए गए माल का मूल्य गलत तरीके से घोषित किया गया था और इस तरह निर्यातक द्वारा अनुचित वापसी राशि का दावा किया गया-विभाग ने इस संबंध में बाजार की राय मांगी माल का मूल्य-अभिनिर्धारित किया- निर्यात के लिए में दर्ज माल के मूल्य को निर्धारित करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत निर्धारित और आर. 4 में विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाया जाना है- आमतौर पर, निर्यातक द्वारा प्राप्त कीमत धारा 14 (1) और आर 4 (2) के तहत निर्दिष्ट किसी विशेष परिस्थिति के अभाव में निर्यात के तहत माल के मूल्य के निर्धारण के लिए व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम को लेनदेन मूल्य के रूप में लिया जाना चाहिए मूल्य को स्थापित करने के लिए प्रारंभिक बोझ जैसा

भी मामला हो, निर्यातक द्वारा निर्यात बिल या शिपिंग बिल में उल्लिखित गलत है। यह विभाग पर निर्भर है - इसलिए एक बार लेनदेन मूल्य यू/आर.4 के तहत खारिज कर दिया जाता है तो मूल्य को क्रमिक रूप से आगे बढ़ाकर निर्धारित किया जाना चाहिए आरआर 5 से 8-तत्काल मामले में, न तो निर्णायक प्राधिकारी और न ही सीईएसटीएटी ने अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले को निपटाया-सीमा पर, पहले समसामयिक निर्यात के आधार पर माल का मूल्य निर्धारित करने के बजाय समान सामान, विभाग ने गलती से बाजार जांच का सहारा लिया-मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए निर्णय प्राधिकारी को भेजा गया-सीमा शुल्क अधिनियम 1962 एस.एस. 14(1) और 114।

सीमा शुल्क अधिनियम 1962: एस. 130 ई(बी) - का दायरा - चर्चा की गई।

राजस्व का मामला यह था कि अपीलकर्ता-निर्यातक ने निर्यात के लिए दर्ज किए गए माल के मूल्य की गलत घोषणा की और अनुचित वापसी राशि का दावा किया। अधिकारियों ने माल के नमूने लिए और उसे एक मैसर्स स्कीपर को बाजार के मूल्य के संबंध में उनकी राय जानने के लिए 12.3.2003 को भेज दिया, एक पी' ने मैसर्स स्कीपर का अधिकृत प्रतिनिधि होने का दावा करते हुए मूल्यांकन पत्र प्रस्तुत किया कि विचाराधीन सामान निर्यात अधिशेष था और निर्यात अस्वीकृत परिधानों में

कपड़े की खराब गुणवत्ता थी और उक्त सामान का बाजार मूल्य 40 रुपये से 70 रुपये प्रति पीस था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर, सीमा शुल्क अधिकारी खेप के कुल मूल्य और दावे की रकम 49,57,536 रूपए के विरुद्ध राशि 3,56,328 रूपए की स्वीकार्य कमी पर पहुंचे। अपीलकर्ता को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न ड्रॉबैक राशि को कम/अस्वीकार किया जाए और उस पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 114 के तहत जुर्माना न लगाया जाए। 7.12.2004 को, पी', मैसर्स स्कीपर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आयुक्त (न्यायनिर्णय पीठ) को एक और पत्र सौंपा जिसमें कहा गया कि उनके पहले पत्र दिनांक 12.3.2003 पर किसी भी उद्देश्य के लिए भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया था और उन्हें केवल अपने हस्ताक्षर लिखने के लिए कहा गया था। आगे कहा गया कि उन्हें न तो कोई सामान दिखाया गया और न ही कोई दस्तावेज 14.12.2004 को, निर्यातक ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। जिसमें सभी आरोपों से इनकार किया गया। निर्यातक ने मेसर्स स्किपर द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12.3.2003 की रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया। आयुक्त ने निर्यातक के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी, और निर्यातक के दावे के अनुसार कमी की अनुमति दी। सीईएसटीएटी ने राजस्व की अपील की अनुमति दी और निर्यातक और उसके निदेशक पर क्रमशः 5 लाख रुपये का जुर्माना भी

लगाया। सीईएसटीएटी के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल अपील दायर की गई थी।

अपील की अनुमति देना और मामले को निर्णायक प्राधिकारी के पास भेजना, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

1. यह घिसा पिटा कानून है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 130 ई(बी) के तहत सीमा शुल्क की दर या मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्य के संबंध में अपील का दायरा बहुत व्यापक है। लेकिन यह भी समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां सीईएसटीएटी, एक तथ्यान्वेषी प्राधिकरण, सभी सामग्री और प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचा है और सही कानूनी सिद्धांतों को लागू किया है, सर्वोच्च न्यायालय ऐसे निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए भी अनिच्छुक होगा। जब तथ्यों के एक ही सेट पर एक और दृष्टिकोण संभव हो सकता है। फिर भी, यदि यह दिखाया गया है कि चुनौती के तहत निष्कर्ष ऐसा है जिस पर संभवतः किसी व्यक्ति द्वारा उसके सामने सामग्री पर विधिवत निर्देश देकर नहीं पहुंचा जा सकता है यानी निष्कर्ष विकृत है या सीईएसटीएटी कानून के सही सिद्धांतों को लागू करने में विफल रहा है तो उच्चतम न्यायालय सीईएसटीएटी की राय के स्थान पर अपनी राय रखने में सक्षम है। नीचे के दोनों प्राधिकारियों के निर्णय टिकाऊ नहीं थे। न तो आयुक्त और न ही सीईएसटीएटी ने उनके सामने मुद्दे की सही परिप्रेक्ष्य में

और निर्यात के लिए माल के मूल्य के निर्धारण के लिए कानून में विचार की गई प्रक्रिया के अनुसार जांच की है। [पैरा 14 और 15] [706-ई-एच; 707-ए-बी]

नान्या आयात और निर्यात उद्यम बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई (2006) 4 एससीसी 765; वर्षा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। (2009) 3 एससीसी 365 मेसर्स बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। (1993) 1 एससीसी 409 संदर्भित।

2. यह तय किया गया है कि अधिनियम की धारा 14(1) के तहत निर्धारित प्रक्रिया और सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियम, 1988 के नियम 4 में निर्दिष्ट प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए अपनाया जाना चाहिए। निर्यात के लिए दर्ज माल का मूल्य, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि कोई शुल्क लगाया जा सकता है या नहीं। यह भी सामान्य बात है कि आम तौर पर व्यापार के सामान्य क्रम में निर्यातक द्वारा प्राप्त कीमत को निर्यात के तहत अधिनियम की धारा 14(1) और 1988 नियमों के नियम 4(2) के तहत निर्दिष्ट किसी विशेष परिस्थिति के अभाव में माल के मूल्य के निर्धारण के लिए लेनदेन मूल्य माना जाएगा। यह स्थापित करने का प्रारंभिक बोझ राजस्व पर होगा कि निर्यातक द्वारा शिपिंग बिल जैसा भी मामला हो मे उल्लेखित मूल्य

गलत है, राजस्व पर निर्भर है। इसलिए, एक बार जब नियम 4 के तहत लेनदेन मूल्य खारिज कर दिया जाता है, तो मूल्य 1988 के नियमों के नियम 5 से 8 के माध्यम से क्रमिक रूप से आगे बढ़कर निर्धारित किया जाना चाहिए। [पैरा 16] [707.सी.ई.,]

सीमा शुल्क आयुक्त (जनरल), मुंबई बनाम अब्दुल्ला डी कोयलोथ जेटी 2010 (12) एससी 267-पर भरोसा किया गया।

3. वर्तमान मामले में, न तो निर्णायक प्राधिकारी यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त और न ही सीईएसटीएटी ने अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले को निपटाया है। दहलीज पर, पहले समान वस्तुओं के समसामयिक निर्यात के आधार पर माल का मूल्य निर्धारित करने के बजाय, राजस्व ने गलती से बाजार जांच का सहारा लिया। यदि किसी भी कारण से, समान वस्तुओं के समसामयिक निर्यात का डेटा उपलब्ध नहीं था तो 1988 के नियमों के नियम 5 से 8 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था और बाजार की जांच केवल अंतिम उपाय के रूप में की जा सकती थी। यह स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा ऐसी कोई कवायद नहीं की गई थी और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए मेसर्स स्किपर इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साक्ष्य मूल्य का परीक्षण किया और इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसमें यह दर्शाया नहीं गया है कि वही कपड़े उक्त

संस्था द्वारा कभी भी खरीदे गए थे। यह देखते हुए कि बाजार जांच से संबंधित किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में फॉब मूल्य में मुद्रास्फीति के आरोप का समर्थन करने के लिए कोई अन्य पुष्टि करने वाला सबूत नहीं था, उन्होंने कारण बताओ नोटिस द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को छोड़ दिया। इसी तरह, सीईएसटीएटी के आदेश से यह स्पष्ट है कि राजस्व की अपील मुख्य रूप से इस आधार पर स्वीकार की गई थी कि मेसर्स स्किपर की रिपोर्ट विश्वसनीयता के योग्य थी और निर्यातक यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा था कि शिपिंग बिलों में बताया गया निर्यात मूल्य वास्तविक निर्यात मूल्य उक्त दोनों प्राधिकारी कानून के सही सिद्धांतों को लागू करने में विफल रहे हैं और इसलिए, उनके आदेश कायम नहीं रह सकते। [पैरा 19] [709 बी.जी]

ओम प्रकाश भाटिया बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली (2003) एससीसी 161; विभीषण बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 12 एससीसी 390 का उल्लेख किया गया है।

केस कानून संदर्भ:

(2006) 4 एससीसी 765	निर्देशित	पैरा 12
(2009) 3 एससीसी 365	निर्देशित	पैरा 12
(1993) 1 एससीसी 409	निर्देशित	पैरा 13

जेटी 2010 (12) एससी 267	निर्भर	पैरा 16
(2003) 6 एससीसी 161	निर्देशित	पैरा 17
(2007) 12 एससीसी 390	निर्देशित	पैरा 18

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 810/2007।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में अपील संख्या सी/893/05 के निर्णय और आदेश दिनांक 14.09.2006 से।

रामजी श्रीनिवासन, डी.पी. मोहन्ती, सोमान्दरी गौड, जेयोल हक, (पारेख एण्ड कम्पनी) अपीलार्थियों के लिए।

रश्मि मल्होत्रा, सुनीता रानी सिंह, बी.वी. बलराम दास प्रतिवादीयों के लिए।

डी.के. जैन के द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 130-ई(बी) के तहत इस दीवानी अपील में चुनौती दी गई। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 2006 को दिए गए निर्णय और आदेश के अनुसार है ट्रिब्यूनल (संक्षेप में सीईएसटीएटी) ने राजस्व, प्रतिवादी द्वारा पसंद की गई अपील की अनुमति

दी। नतीजतन, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ड्रॉ बैक नियम, 1995 के साथ पढ़े गए अधिनियम के अध्याय संशोधित) निर्यात के लिए में दर्ज माल के मूल्य की गलत घोषणा के आधार पर अस्वीकृत हो गया।

2. वर्तमान अपील के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार बताए जा सकते हैं :

अपीलकर्ता अर्थात्. मैसर्स सिद्धाचलम एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड, (इसके बाद "निर्यातक" के रूप में संदर्भित) तैयार कपड़ों, इंजीनियरिंग सामान, हस्तशिल्प, ऊनी कपड़े, चमड़े के सामान आदि के निर्यात में लगा हुआ था। 24 फरवरी, 2003 को, निर्यातक ने सात शिपिंग बिल दायर किए (नंबर जे.903000127-129 और जे.903000131-134) माल के निर्यात के लिए 390/ रुपये प्रति पीस मूल्य वाली 'शेडीज टॉप' और 417/ रुपये प्रति पीस मूल्य वाली 'डेनिम शर्ट' घोषित किया गया। मैसर्स जाओ जैन्यो ओवरसीज, मॉस्को, रूस का कुल एफओबी मूल्य रु. 4,14,63,360/- है। निर्यातक ने रु. 49,75,536/- के शुल्क वापसी का दावा किया।

3. गुप्त सूचना के आधार पर कि अनुचित ड्रा-बैंक राशि का दावा करने के इरादे से उपर्युक्त सामान का अधिक मूल्य निर्धारण किया गया था, सीमा शुल्क अधिकारियों ने 26 फरवरी, 2003 को खेप की 100% जांच की; नमूने लिए और उन्हें उनके बाजार मूल्य के बारे में राय जानने के लिए मैसर्स स्किपर, इंटरनेशनल को भेज दिया।

4. 27 फरवरी, 2003 को निर्यातक कंपनी के निदेशक श्री संजीव जैन से भी पूछताछ की गई और अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि शिपिंग बिलों में शामिल माल का निर्माण उनकी कंपनी द्वारा नहीं किया गया था। लेकिन किसी श्री गुप्ता द्वारा आपूर्ति की गई थी। माल के संबंध में श्री गुप्ता को भुगतान चेक के माध्यम से किया गया था। हालाँकि, उन्हें श्री गुप्ता का पता या संपर्क नंबर याद नहीं था। श्री जैन ने यह भी कहा कि सात शिपिंग बिलों में शामिल सामान 150/- से 350/- प्रति पीस रुपये की दर से खरीदा गया था। हालाँकि, उन्होंने इसके लिए बिल नहीं देखा था।

5. दिनांक 5 मार्च, 2003 के पत्र के माध्यम से निर्यातक ने बांड और बैंक गारंटी के निष्पादन पर माल को अस्थायी रूप से छोड़ने के लिए अनुरोध किया। 12 मार्च 2003 को एक पंकज, उक्त मैसर्स स्किपर इंटरनेशनल के अधिकृत प्रतिनिधि होने का दावा करते हुए अपना मूल्यांकन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि 'लेडीज टॉप' और 'डेनिम शर्ट' के नमूने निर्यात अधिशेष थे और कपड़े और सिलाई की खराब गुणवत्ता वाले निर्यात अस्वीकृत वस्त्र थे, और उक्त सामान का बाजार मूल्य 40/- से रु. 70/- प्रति पीस के रूप के बीच था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर, सीमा शुल्क अधिकारियों ने राय बनाई कि खेप का कुल मूल्य रु. 56,04,000/- था जो घोषित एफओबी कीमत 4,14,63,360/- रूपए के विरुद्ध था और

स्वीकार्य ड्रॉ-बैंक जो 49,57,536/- रुपये के दावे के विपरीत 3,56,328/- होना चाहिए। विचाराधीन खेप को अधिनियम की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया था। हालाँकि, बाद में निर्यातक द्वारा बांड और बैंक गारंटी के निष्पादन पर सामान को अस्थायी रूप से जारी किया गया था।

6. 11 सितंबर, 2003 को, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त (एसआईआईबी), आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली ने निर्यातक को अन्य बातों के अलावा कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सात शिपिंग बिलों के तहत कवर किए गए माल का एफओबी मूल्य कम था। इसे कृत्रिम रूप से फुलाकर पूरी तरह से गलत घोषित किया गया है। जिससे अधिनियम की धारा 113(डी) और/या (1) के तहत उन्हें जब्ती के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। निर्यातक से यह बताने के लिए कहा गया था कि 24 फरवरी 2003 के शिपिंग बिल नंबर J903000134 और J903000129 के तहत कवर किए गए माल पर ड्रॉ बैंक राशि को रु. 3,56,328/- से रु. 29,90,280/- की राशि तक क्यों कम नहीं किया जाना चाहिए और निर्यातक पर अधिनियम की धारा 114 के तहत जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।

7. 7 दिसंबर, 2004 को मैसर्स स्किपर इंटरनेशनल के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज ने आयुक्त (न्याय निर्णय पीठ) को एक और पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें कहा गया कि उनके 12 मार्च, 2003 पूर्व के पत्र पर

किसी भी उद्देश्य के लिए भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया था और उनसे केवल उस पर अपने हस्ताक्षर लिखने के लिए कहा गया था। आगे कहा गया कि उन्हें न तो कोई सामान दिखाया और न ही कोई दस्तावेज।

8. 14 दिसंबर, 2004 को निर्यातक ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए उसमें लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया। निर्यातक ने मैसर्स स्किपर इंटरनेशनल द्वारा 12 मार्च, 2003 को प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया।

9. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली-111 ने 31 जनवरी 2005 के ऑर्डर.इन.ओरिजनल के माध्यम से उक्त कारण बताओ नोटिस पर फैसला सुनाया। सीईएसटीएटी के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, जिसमें राजस्व की अनुपस्थिति में बाजार पूछताछ की गई और निर्यातक को बिना नोटिस दिए अवैध करार दिया गया, आयुक्त ने निर्यातक के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी, और निर्यातक के दावे के अनुसार ड्रॉ बैंक की अनुमति दे दी। आयुक्त ने इस प्रकार कहा:

"माननीय न्यायाधिकरण के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, मुझे लगता है कि निर्यातक कंपनी या उसके निदेशक की अनुपस्थिति में और बिना किसी नोटिस के मैसर्स स्किपर इंटरनेशनल से की गई जांच को कोई साक्ष्य महत्व नहीं दिया जा सकता है क्योंकि

यह प्रदर्शित नहीं करता है कि समान वस्त्र दिए गए मूल्यों पर कभी मैसर्स स्किपर इंटरनेशनल द्वारा खरीदे गए थे या नहीं। इसलिए, सबूत और प्रासंगिक कानून होने के नाते, यह माना जाना चाहिए कि वर्तमान बाजार मूल्य को स्थापित करने के लिए वास्तव में कोई बाजार जांच नहीं की गई थी। इसके अलावा, मैसर्स स्किपर इंटरनेशनल के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री पंकज ने अपने प्रमाण पत्र दिनांक 12.03.2003 में दिए गए अपने बयान को वापस ले लिया है, जिसके द्वारा उन्होंने उन्हें दिखाए गए नमूनों का वर्तमान बाजार मूल्य दिया था।

इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, और बाजार जांच से संबंधित किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में, जहां तक वर्तमान बाजार मूल्य और एफओबी मूल्य को बढ़ाने से संबंधित पहलू का संबंध है, मैं किसी भी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्टि पाने में विफल रहा हूं।"

10. व्यथित होकर, राजस्व ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सीईएसटीएटी ने, आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, रेवेन्यू द्वारा दायर अपील को इस प्रकार देखते हुए अनुमति दी है:

"9. हम राजस्व की अपील में योग्यता पाते हैं। इस मामले में मूल मुद्दा यह था कि क्या घोषित निर्यात कीमतें निर्यात के तहत माल के अधिक मूल्यांकन के कारण गलत घोषणा थीं। दूसरा मुद्दा यह था कि क्या वर्तमान बाजार खेप का मूल्य मैसर्स स्किपर इंटरनेशनल द्वारा दर्शाया गया था, जिससे निकासी राशि से इनकार किया गया। जबकि प्रतिवादी का बचाव यह है कि निर्यात मूल्य का एहसास हो गया है, घोषित मूल्य पूरी तरह से अप्रमाणित है। मैसर्स स्किपर इंटरनेशनल की राय, जिसने नमूने देखे, वह इस अवलोकन पर आधारित है कि "श्लेडीज टॉप और डेनिम शर्ट के ये नमूने निर्यात अधिशेष हैं और कपड़े और सिलाई की खराब गुणवत्ता वाले निर्यात अस्वीकृत परिधान हैं"। कपड़े और सिलाई की खराब गुणवत्ता के संबंध में इस निष्कर्ष के आधार पर खिलाफ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं की गई है। इस निष्कर्ष पर मैसर्स स्किपर इंटरनेशनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वस्त्र निर्यात अस्वीकार' थे। मूल्यांकन भी उसी आधार पर था। नमूनों के बारे में नोट की गई तथ्यात्मक स्थिति पर विवाद करने के बजाय, निर्यातक ने राय देने वाले की योग्यता पर हमला करना चुना यह दो कारणों से स्वीकार्य नहीं है. पहला यह है कि सिलाई और कपड़े की गुणवत्ता परिधान व्यापार से परिचित किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट होगी और इसे निर्यात अधिशेष डीलर की

क्षमता से परे होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। कपड़े की गुणवत्ता या परिधान की सिलाई में निश्चित रूप से कोई रॉकेट विज्ञान शामिल नहीं है। इसलिए, राय देने वाले पर हमला पूरी तरह से गलत है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि राय ही त्रुटिपूर्ण नहीं है। दूसरे, मैसर्स स्किपर इंटरनेशनल निर्यात अधिशेष कपड़ों में काम कर रहा था, इसलिए, ऐसे सामानों के बाजार मूल्यांकन में उसे विशेषज्ञता हासिल थी। यदि कपड़ा और सिलाई खराब गुणवत्ता की है, तो निश्चित रूप से वस्तुओं में निर्यातक द्वारा घोषित सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले निर्यात परिधानों की कीमत नहीं होगी।

10. अपीलकर्ता के आचरण में एक और पूरी तरह से अस्वीकार्य पहलू यह है कि उसने उस सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने से इनकार कर दिया है जो घोषित मूल्यों को प्रमाणित करने के लिए उसके पास होनी चाहिए। अपीलकर्ता एक व्यापारी निर्यातक है और उसने बाजार से 4 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कपड़े खरीदे हैं। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि अपीलकर्ता ने सामग्री, निर्माण और आकार के संबंध में उचित विनिर्देश के साथ सक्षम निर्माताओं या व्यापारियों को माल का ऑर्डर देने का ध्यान रखा होगा और वे निर्माता या व्यापारी अपीलकर्ता को उचित चालान

और अन्य दस्तावेज देंगे। इस तरह के सबूत पेश करने के बजाय, उसने यह बताना चुना है कि खरीद एक भ्रामक गुप्ता के माध्यम से हुई है, जिसका विवरण अपीलकर्ता को नहीं पता है। ऐसी असामान्य अस्पष्टता को केवल असुविधाजनक तथ्यों को छिपाने के प्रयास के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी विवादग्रस्त मुद्दे पर पुख्ता सबूत रखने वाला व्यक्ति उस सबूत को छिपाकर सफल होने की उम्मीद नहीं कर सकता है। इसलिए, मैसर्स स्किपर इंटरनेशनल की राय पर भरोसा करने और श्री जैन द्वारा बताई गई तर्ज पर जांच नहीं करने के कारण राजस्व को दोषी ठहराने में आयुक्त स्पष्ट रूप से गलती पर थे। श्री जैन द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं थे केवल गुमराह करने का इरादा था। इसके अलावा, कुछ चेक जारी करना खेप के सही मूल्य के बारे में कोई संतोषजनक सबूत नहीं है।"

तदनुसार, सीईएसटीएटी ने शिपिंग बिल संख्या J903000134 और J903000129 द्वारा कवर की गई खेप के मामले में ड्रॉ बैंक दावे को घटाकर रु. 3,26,328/- और अन्य खेपों के संबंध में 29,90,280/- रुपये की राशि के ड्रॉ बैंक दावे को अस्वीकार किया गया, जैसा कि 11 सितंबर, 2003 को कारण बताओ नोटिस में विचार किया गया था।

सीईएसटीएटी ने निर्यातक और उसके निदेशक श्री संजीव जैन प्रत्येक पर क्रमशः 5 लाख रू. का जुर्माना भी लगाया।

11. अतः, निर्यातक द्वारा वर्तमान अपील पेश हुई।

12. निर्यातक की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रामजी श्रीनिवासन ने आक्षेपित फैसले पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि राजस्व उस पर रखे गए दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है, क्योंकि वह यह स्थापित करने में विफल रहा है कि निर्यातक ने निर्यात माल के मूल्य की गलत घोषणा की गई जैसा कि नान्या आयात और निर्यात उद्यम बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई [(2006)4 एससीसी 765] में प्रतिपादित किया गया था। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि कारण बताओ नोटिस खराब था क्योंकि यह पूरी तरह से मैसर्स स्किपर इंटरनेशनल के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज की राय पर आधारित था, जिसने प्रश्नगत माल की जांच भी नहीं की थी। विद्वान वकील ने जोर देकर कहा कि माल का मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 2(41) और 14 पठित सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का निर्धारण) नियम 1988 (संक्षेप में नियम 1988) के नियम 4 के अनुसार होनी चाहिए। वर्षा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य [(2009) 3 एसएससी 365] पर विश्वास जताते हुए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 1988 के नियम वस्तुओं के मूल्यांकन के मामले में एकरूपता और

निश्चितता बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं, जो प्रक्रिया का मामला है, इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि सीईएसटीएटी ने श्री संजीव जैन पर जुर्माना लगाकर कानूनी गलती की है, जिन्हें राजस्व द्वारा दायर अपील में एक पक्षकार भी नहीं बनाया गया था।

13. इसके विपरीत, राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री रश्मी मल्होत्रा ने दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की जानी चाहिए, और सीईएसटीएटी ने मैसर्स स्किपर इंटरनेशनल द्वारा वापसी के प्रभाव पर उचित रूप से विचार नहीं किया, क्योंकि आयुक्त द्वारा भी इस पर कार्यवाही नहीं की गयी। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि निर्यातक को इस स्तर पर इस आधार पर आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि उसने इसे सीईएसटीएटी के समक्ष नहीं उठाया था। विवाद के समर्थन में, मैसर्स बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (1993) 1 एससीसी 409 में इस न्यायालय का निर्णय सेवा में लगाया गया था। विद्वान वकील के अनुसार, चूंकि मूल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के इक्कीस महीने बाद वापसी की गई थी, इसने अपनी प्रभावकारिता खो दी थी और इसलिए, रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर कोई असर नहीं पड़ा।

14. यह घिसा-पिटा कानून है कि अधिनियम की धारा 130ई(बी), अपील का दायरा सीमा शुल्क की दर या मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए

माल के मूल्य के संबंध में, बहुत व्यापक है लेकिन यह समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां सीईएसटीएटी, एक तथ्य खोजने वाला प्राधिकरण है, सभी सामग्री और प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करके एक निष्कर्ष पर पहुंचा है और सही कानूनी सिद्धांतों को लागू किया है, यह न्यायालय ऐसे निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगा, भले ही तथ्यों के एक ही सेट पर एक और दृष्टिकोण संभव हो। फिर भी, यदि यह दिखाया गया है कि चुनौती के तहत निष्कर्ष ऐसा है जिस पर संभवतः किसी व्यक्ति द्वारा उसके सामने सामग्री पर विधिवत निर्देश नहीं दिया जा सकता है यानी निष्कर्ष विकृत है या सीईएसटीएटी कानून के सही सिद्धांतों को लागू करने में विफल रहा है, तो यह न्यायालय सीईएसटीएटी की राय के स्थान पर अपनी राय रखने में सक्षम है।

15. प्रस्तुत तथ्यों पर अपना उत्सुकतापूर्वक विचार करने के बाद हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि नीचे दिए गए दोनों अधिकारियों के निर्णय टिकाऊ नहीं हैं। हमारी राय में न तो आयुक्त और न ही सीईएसटीएटी ने उनके समक्ष मुद्दे की सही परिप्रेक्ष्य में और निर्यात के लिए माल के मूल्य के निर्धारण के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की है।

16. यह निर्णय लिया गया है कि अधिनियम की धारा 14(1) और 1988 के नियमों के नियम 4 के तहत निर्धारित प्रक्रिया निर्यात के लिए दर्ज किए गए माल के मूल्यों को निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से

अपनाई जानी चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि कोई शुल्क लगाया जा सकता है या नहीं। यह भी सामान्य बात है कि आम तौर पर अधिनियम की धारा 14 (1) और 1988 के नियमों के नियम 4 (2) के तहत निर्दिष्ट किसी विशेष परिस्थिति के अभाव में व्यापार के सामान्य क्रम में निर्यातक द्वारा प्राप्त कीमत को निर्यात के तहत माल के मूल्य के निर्धारण के लिए लेनदेन मूल्य के रूप में लिया जाएगा। यह स्थापित करने का प्रारंभिक बोझ कि निर्यातक द्वारा निर्यात बिल या शिपिंग बिल में उल्लिखित मूल्य जैसा भी मामला हो, गलत है, राजस्व पर पड़ता है। इसलिए, एक बार जब नियम 4 के तहत लेनदेन मूल्य खारिज कर दिया जाता है, तो मूल्य 1988 के नियमों के नियम 5 से 8 के माध्यम से क्रमिक रूप से आगे बढ़कर निर्धारित किया जाना चाहिए। (देखें: सीमा शुल्क आयुक्त (जनरल), मुंबई बनाम अब्दुल्ला कोयलोथ)

17. ओम प्रकाश भाटिया बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली में रेडीमेड परिधानों पर जानबूझकर अधिक बिल बनाकर धोखाधड़ीपूर्ण वापसी दावे के एक समान मामले से निपटते समय, इस न्यायालय ने निर्यातक की दलील को खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 113 (डी) ऐसे मामलों के तथ्यों पर लागू नहीं थी। जहां माल निषिद्ध माल नहीं था; (ii) निर्यातक को विदेशी खरीदार से प्राप्त होने वाले अपेक्षित माल के मूल्य की घोषणा करने की आवश्यकता थी ना भारत में ऐसे माल के बाजार मूल्य

की और (iii) चूंकि उस मामले में, निर्यात पर कोई शुल्क देय नहीं था, अधिनियम की धारा 14 को माल का मूल्य निर्धारित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया कि अधिनियम की धारा 2(33) में "निषिद्ध माल" की परिभाषा इंगित करती है कि यदि माल के आयात व निर्यात के लिए निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है, इसे "निषिद्ध माल" माना जाएगा। यह माना गया कि माल के निर्यात मूल्य का निर्धारण करने के लिए, अधिनियम की धारा 2(41) में परिभाषित "मूल्य" शब्द के अर्थ को संदर्भित करना आवश्यक है और अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"...वस्तुओं के निर्यात मूल्य का निर्धारण करने के लिए, हमें अधिनियम की धारा 2(41) में दिए गए शब्द "मूल्य" के अर्थ का उल्लेख करना होगा, जो विशेष रूप से प्रदान करता है कि किसी भी सामान के संबंध में मूल्य का अर्थ उसका मूल्य है जो धारा 14 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

धारा 14 विशेष रूप से प्रतिपादित करती है कि निर्यात के उद्देश्य के लिए मूल्य का आंकलन करने के मामले में, मूल्य उस कीमत पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिस पर अंतरराष्ट्रीय

व्यापार के दौरान निर्यात के स्थान पर ऐसे या समान सामान आमतौर पर बेचे जाते हैं या बिक्री के लिए पेश किए जाते हैं। जहां विक्रेता और खरीदार को एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है और बिक्री के लिए कीमत ही एकमात्र विचार है। इसमें कोई संदेह नहीं है, धारा 14 माल पर लगने वाले टैरिफ या सीमा शुल्क के उद्देश्य से माल का मूल्य निर्धारित करने के लिए लागू होगी। इसके अलावा, धारा 2 की उप-धारा (41) के तहत प्रदान किए गए सामान के निर्यात मूल्य को निर्धारित करने के लिए संदर्भ का सहारा लिया जाना चाहिए और इसे लागू किया जाना चाहिए। यह निर्यात किए जाने वाले सामान की मूल्यांकन क्षमता के किसी भी प्रश्न से स्वतंत्र है। इसलिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या निर्यात मूल्य वास्तव में शिपिंग बिल में बताया गया है, भले ही कोई शुल्क नहीं लगाया गया हो इसे निर्यात किए जाने वाले सामान के वास्तविक निर्यात मूल्य का निर्धारण करने के लिए संदर्भित किया जा सकता है।”

18. ओम प्रकाश भाटिया (सुप्रा) में व्यक्त राय को इस न्यायालय द्वारा बिभीषण बनाम महाराष्ट्र राज्य में दोहराया गया है। यह माना गया है कि अधिनियम में "निषिद्ध माल" की परिभाषा एक व्यापक है और उक्त प्रावधान न केवल माल के आयात या निर्यात को अपने दायरे में लाता है

जो अधिनियम के तहत किसी भी निषेध के अधीन है, बल्कि इनमें से किसी भी कानून को जो उस समय पर लागू थे।

19. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न तो निर्णायक प्राधिकारी यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त और न ही सीईएसटीएटी ने अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले को निपटाया है। दहलीज पर, पहले समान वस्तुओं के समसामयिक निर्यात के आधार पर माल का मूल्य निर्धारित करने के बजाय, राजस्व ने गलती से बाजार जांच का सहारा लिया। यदि किसी भी कारण से, समान वस्तुओं के समसामयिक निर्यात का डेटा उपलब्ध नहीं था, तो 1988 के नियमों के नियम 5 से 8 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था और बाजार की जांच केवल अंतिम उपाय के रूप में की जा सकती थी। यह स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा ऐसी कोई कवायद नहीं की गई थी और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए मैसर्स स्किपर इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साक्ष्य मूल्य का परीक्षण किया और इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसमें यह दर्शाया नहीं गया है कि उक्त कंपनी द्वारा कभी भी वही कपड़े खरीदे गए थे। यह देखते हुए कि बाजार जांच से संबंधित किसी भी अन्य स्वतंत्र सबूत के अभाव में, एफओबी मूल्य में मुद्रास्फीति के आरोप का समर्थन करने के लिए कोई अन्य पुष्टि करने वाला सबूत नहीं था, उन्होंने 11 सितंबर 2003 को कारण

बताओ नोटिस के माध्यम से शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। इसी तरह, यह है सीईएसटीएटी के आदेश से पता चलता है कि राजस्व की अपील मुख्य रूप से इस आधार पर स्वीकार की गई है कि मैसर्स स्किपर इंटरनेशनल की रिपोर्ट विश्वसनीयता के योग्य थी और निर्यातक यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा कि शिपिंग बिलों में बताया गया निर्यात मूल्य सही निर्यात मूल्य था हमारी राय में, उक्त दोनों प्राधिकारी कानून के सही सिद्धांतों को लागू करने में विफल रहे हैं और इसलिए, उनके आदेश कायम नहीं रह सकते हैं।

20. परिणामस्वरूप, बताए गए कारणों से अपील की अनुमति दी जाती है; सीईएसटीएटी और आयुक्त द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया गया है और मामले को वापस निर्णायक प्राधिकारी को निर्यातक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद, तथा कानून के अनुसार नए सिरे से विचार करने के लिए भेज दिया गया है। इस आदेश के संदर्भ में संपूर्ण प्रक्रिया, इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर पूरी की जाएगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमने मैसर्स स्किपर इंटरनेशनल द्वारा दी गई राय के गुण दोष पर या प्रश्न में शिपिंग बिलों में बताए गए निर्यात मूल्य के समर्थन में कोई सबूत नहीं जोड़ने के निर्यातक के आचरण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

21. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षकार स्वयं का खर्चा खुद वहन करेंगे। पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

डी.जी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीरू सोनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।